Result Mitra Daily Current Affairs

भारत में महिला अधिकारों का इतिहास

❖ हालिया संदर्भ :

- पिछले हफ्ते RG कर मेडिकल कॉलेज में एक युवती की बलात्कार एवं हत्या समेत कई हालिया घटनाओं ने भारत मे महिला अधिकारों के मुद्दों को पुनः मुख्य चर्चा-विषय बना दिया है।
- समानता, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकारों सहित महिलाओं के अन्य अधिकारों के सवाल लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इस संदर्भ में ब्रिटिश काल से वर्तमान तक एक संक्षिप्त अवलोकन इसे समझने में मददगार होगा।

❖ ब्रिटिश दौर :

- तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारतीय जनगणना करवाई, जिसमें विषम लिंगानुपात का प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या को बताया गया।
- इस जनगणना में महिलाओं से संबंधित आयु, व्यवसाय, जाति एवं वर्ग से संबंधित।
- 1899 में ब्रिटिश सैन्य छावनियों में वेश्यावृत्ति को विनियमित करने के लिये बनाए गए अधिनियम सहित अन्य कई अधिनियम इस दौर में बनाए गए, जो महिलाओं के शोषण एवं यौन-शोषण से संबंधित था।
- इसके अलावा कम/नगण्य वेतन एवं बिना कानूनी संरक्षण के लंबे समय तक काम करवाना एवं घरेलू नौकर के रूप में उनका शोषण ब्रिटिश काल में महिलाओं की दुर्गति का कारण था।

- 1864-1869 के बीच कई एक्ट पारित किए गए, जो संक्रामक रोगों के विनियमन से संबंधित था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सैनिकों को यौन रोगों से बचाना था और इसके लिये महिलाओं का क्रूर मेडिकल टेस्ट किया जाता था एवं वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं को या तो जबरन कैद में डाला जाता था या उन्हें कलंकित किया जाता था।

❖ सामाजिक सुधार :

- मुगल साम्राज्य के विघटन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व में आने के दौर में (18वीं-20वीं शताब्दी के बीच) बंगाल में पुनर्जागरण हुआ।
- राजा राम मोहन राय (भारतीय पुनर्जागरण के पिता) ने सती प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 4 दिसम्बर 1829 कसे तत्कालीन गवर्नर विलियम बैंटिक की सहायता से अधिनियम की धारा - XVII के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया।
- दयानंद स्वामी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की, जिसने सामाजिक सुधार पर एक परंपरावादी रूख अपनाया और वैदिक मूल्यों के पुनरूद्धार पर जोर दिया।
- इसी समय में बंगाल की रोकिया सखाबाई हुसैन एवं रूखमाबाई राउत जैसी महिला कार्यकर्ता ने सती प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया।
- इस दौरान महिला सुधारक सुधारवादी अभियानों के लिये पुरूषों पर निर्भर थी क्योंकि उनके पास निर्णायक भूमिका वाली शक्ति नहीं थी।
- 1856 में हिन्दू विधवा पुर्नविवाह एक्ट पारित किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका महिलाओं की थी लेकिन उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद लेनी पडी।
- 1929 में सरदा (शारदा) एक्ट पारित किया गया तथा यह 1930 में लागू हुआ।
- इस एक्ट का नामकरण इसके संस्थापक हरविलास सरदा के नाम पर हुआ।
- यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, जिसने लडकियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष एवं लडकों के लिये 18 वर्ष तय कर दी।

❖ राजनीतिक प्रतिनिधित्व :

- जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में मताधिकार सहित राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था।
- हालांकि 1919 एवं 1929 के बीच ही ब्रिटिश प्रांतों के महिलाओं को मत देने का अधिकार सीमितता के साथ प्राप्त हो गया था, लेकिन 1951 के प्रथम आम चुनाव में महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था।
- भारतीय संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में सिर्फ 15 महिलाएं थी।
- इनमें सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा जीवराय मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय एवं रेणुका रे आदि शामिल थी।

Result Mitra

- संविधान सभा में दक्षायनी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला एवं बेगम एजाज एकमात्र मुस्लिम महिला थी।
- 1952-57 के दौरान पहली लोकसभा में केवल 4.4% सदस्य ही महिलाएं थी।
- वर्तमान में लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य है, जबकि 224 राज्यसभा सांसदों में केवल 24 महिलाएं है।
- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन एक्ट द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर महि प्रतिनिधित्व बढा है।
- 106वे संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान है।
- यह 15 वर्ष के लिये लागू होगा तथा अधिनियम के लागू होने के बाद प्रकाशित हुई पहली जनगणना के बाद प्रभावी होगा।

❖ आर्थिक चुनौतियाँ :

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2024 की अंतर्राष्ट्रीय श्रम रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार या शिक्षा में न आने वाली महिलाओं की प्रतिशतता पुरूष समकक्षों से 5 गुना है।
- 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिये श्रम बल भागीदारी दर लगभग 25% है।
- शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में पिछडे होने का प्रभाव शिक्षा एवं आय के अंतर से लेकर लिंग-अनुपात एवं वेतन तक विस्तारित है।
- कृषि का मशीनीकरण, स्थानीय स्तर पर पशुपालन में कमी एवं श्रम-गहन गतिविधियों की मांग में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में निम्नता का कारण है।
- NSSO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की औसत आय पुरूषों की तुलना में 25-30% कम है।
- इस अंतर का प्रमुख कारण उच्च वेतनमान वाली नौकरियों में महिलाओं की कम एवं निम्न आय वाले क्षेत्र में उच्च योगदान है।
- NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल किसान आत्महत्या में 30% महिलाएं थी। यह अनुपात तब है, जब भू-स्वामित्व एवं किसान की परिभाषा में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

❖ शिक्षा एवं कौशल :

- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी अनुपात लगभग 50% है, जो निश्चित रूप से सकरात्मक प्रवृत्ति है, हालांकि यह अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशील है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य महिलाओं के बीच साक्षरता अनुपात में काफी अंतर है, साथ ही यह अंतर पुरूष की तुलना में और भी ज्यादा है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)की 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी महिलाओं की साक्षरता स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी यह समग्र राष्ट्रीय औसत से नीचे है।
- लडकियों के बीच प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोडने की उच्च दर अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
- 1995 में शुरू की गई "मिड-डे-मिल योजना" एवं "बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना" इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है लेकिन इन योजनाओं के सामने राज्यवार भिन्न स्थिति, उचित निगरानी प्रणाली की कमी एवं महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की कमी जैसे चुनौतियां विद्यमान है।

❖ सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे :

- समाज में महिलाओं की स्थिति वर्तमान तक भी पूर्णतया भेदभाव मुक्त नहीं हुई है हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं किया गया हो।
- अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 एवं संविधान के अनुच्छेद-15 एवं 17 में किए गए विशेष उपबंध के अलावा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के बावजूद भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति जातिगत एवं वर्ग भेदभाव से ग्रसित रही है।
- संस्थागत कानूनी ढाँचा विद्यमान होने के बावजूद प्रथा के उन्मूलन न होने का एक उदाहरण देवदासी प्रथा है।
- देवदासी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है, जहाँ महिलाओं को मंदिरों एवं देवताओं की पूजा करने के लिये एक धार्मिक एवं सामाजिक ईकाई के रूप में स्थापित किया गया था।
- पुजारियों, संरक्षकों एवं अन्य लोगों द्वारा देवदासियों को हाशिए पर धकेलने एवं उनका शोषण करने के कारण 1988 में देवदासी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के एक 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 48,758 देवदासियां थी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 11.8 मिलियन विकलांग महिलाएं रहती है, जिन्हें दैनिक जीवन में काफी कठिनाई, भेदभाव और अलगाव का सामना करना पडता है। इस स्थिति से उबारने के लिये सरकार द्वारा कई सामाजिक सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इसका उचित लाभार्थी तक न पहुँचना, एक चुनौती है।
- NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक 16 मिनट में एक बलात्कार की सूचना मिलती है और यह आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया एक्ट नाम से लोकप्रिय) के लागू होने के बाद की स्थिति है।
- इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानि POSCO अधिनियम, 2012 ने बच्चों के खिलाफ यौन शोषण की बढती घटनाओं से निपटने के लिये एकीकृत और व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन यौन उत्पीडन, शोषण और बलात्कार का कलंक अभी भी बना हुआ है।

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013, 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले सभी कार्यस्थलों पर महिला उत्पीडन से जुडी शिकायतों के निपटारे के लिये आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है, लेकिन इन समितियों की नियुक्ति, कार्य-तेज एवं समय-सीमा का निर्धारण अभी भी प्रश्न-चिन्हित है।

Result Mitra